<u>कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ।</u>

* <u>निलामी सूचना</u> *

संख्या 01/2018–19

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा, पूर्णियाँ के दक्षिण–पश्चिम हिस्से में अवस्थित कुल 6 शेडों तोडनें एवं उनसे प्राप्त होने वाले संपूर्ण सामग्री यथा ईंट, G.S Sheet, Steel Pype आदि की निलामी दिनांक 26.09.2018 को दोपहर 1:00 बजे खुली बोली द्वारा की जाएगी।

निलामी की शर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1. बोली में शामिल होने के लिए पैन कार्ड एवं आवास से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ अग्रिम राशि के रूप में मो0–25,000/– रूपये नगद या बैंक ड्राफ्ट जो REGIONAL DIRECTOR ANIMAL HUSBANDARY PURNEA के पदनाम से देय हो दिनांक 26.09.2018 को दोपहर 12:45 बजे तक निलामी समिति के समक्ष जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे असफल Bidder को उसी दिन वापस कर दिया जाएगा।

2. न्यूनतम बोली 11,80,500/- रूपये से शुरू होगी एवं Bidder को कम से कम तीन बोली लगाना अनिवार्य होगा।

3. उच्चतम बोली लगाने वाले Bidder को इस हेतु चयनित किया जाएगा एवं बोली की राशि का 25% प्रतिशत् राशि उनके द्वारा बोली के पूर्व जमा किए गये अग्रिम राशि (25,000 रूपये) के समायोजन के उपरांत शेष राशि उसी समय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का Account Payee Chaque के माध्यम से सुरक्षित जमा राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अग्रिम राशि जब्त करते हुए दूसरे उच्चतम बोली लगाने वाले Bidder को मौका दिया जाएगा। शेष 75% राशि दो दिनों के अन्दर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा, अन्यथा उनसे प्राप्त संपूर्ण राशि को जब्त करने का अधिकार निलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

4. चयनित Bidder को <u>अपने खर्चे पर शेड को तोडकर</u> संपूर्ण सामग्री एवं मलवा कार्यादेश निर्गत करने की तिथि के 30 दिनों के अन्दर प्रक्षेत्र से हटाकर पूर्णतः साफ–सुथरा एवं समतल करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनसे प्राप्त संपूर्ण राशि को जब्त करते हुए नियम संगत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

5. Bidder निलामी में भाग लेने के पूर्व चिन्हित भवन एवं उसमें लगे सामग्री का अवलोकन स्थल जाकर कर आवश्य कर लेंगें। भवन "जहॉ है जिस स्थिति में है" Bidder को मान्य होगा"।

6. भवन को तोडने एवं समाग्री के उठाव/निस्तारण के कम में किसी प्रकार की टूट–फूट एवं जान–माल की क्षति की सारी जवाबदेही संबंधित Bidder की होगी। इस दौरान उन्हें बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंव अन्य संबंधित विभाग/प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला पूर्णियाँ जिलान्तर्गत ही मान्य होगा।

8. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी कारण बताए इस निलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

9. निलामी दिनांक 26.09.2018 को दोपहर 1:00 बजे कार्यालय बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा, पूर्णियाँ के कार्यालय कक्ष में निलामी समिति के समक्ष की जाएगी।

10. विशेष जानकारी हेतु कार्यालय के दूरभाष संख्या 06454–228692 पर संपर्क किया जा सकता है एवं विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in / www.prdbihar.gov.in देखा जा सकता है।

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन,
पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ